फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भाया | **विपक्षी : श्री चतरा**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 201/17**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.08.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होना जाहिर आया है जो पूर्व में वादी के मौरूस किशना गुर्जर के नाम दर्ज थी। किशना के दो पुत्र दौला व राधु हुए। राधु के वारिस वादी व दौला के वारिस प्रतिवादी केशा, चतरा व पोखर हुए। केशा फौत होने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 हैं। वादी के पिता राधु की मृत्यु किशना के जीवित रहते ही हो गई इसलिए किशना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि किशना के पुत्र दौला के नाम दर्ज हो गई जबकि दौला के साथ वादी भाया का नाम दर्ज हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। पूर्व में भी न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प सिन्दू में वादी व प्रतिवादी सं. 1 चतरा, 2 पोखर, 4 देवीलाल के मध्य आपसी राजीनामा पेश किया जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी एवं सरपंच सिन्दू द्वारा तस्दीक किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा मौके पर 1/4 हिस्से पर भाया का कब्जा होना बताया हैं। भाया को किशना का वारिस माना हैं। ग्राम पंचायत सिन्दू द्वारा जारी सजरा दिनांक 07.09.2021 पेश किया, जिसमें भी किशना के वारिसों में राधु व राधु के वारिस धापुबाई, भाया, लच्छुबाई, भंवरीबाई होना बताया जिनमें धापु, लच्छु व भंवरीबाई फौत हो चुके है केवल भाया वादी वर्तमान में जीवित हैं। वादी द्वारा अपने समर्थन मे साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 पेश किया। जिसमें दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 व 2, [illegible] नकल प्रदर्श 3, तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श 4, ग्राम पंचायत का सजरा प्रदर्श 5 पेश किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि मौरूस किशना की मृत्यु होने से उसके वारिस दौला व राधु के पुत्र भाया के नाम बराबर–बराबर हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी जबकि भूमि अकेले दौला के नाम दर्ज हो गई है। वर्तमान में मौके पर दौला के वारिस व भाया अपने 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। भूमि पैतृक होने से वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू की आराजी नम्बर 24, 25, 26, 27, 28, 29 किता 6 रकबा 5.6170 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज भूमि में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 201/17 (वाद) GCMS No. : 2017/00487

उनवान

1. श्री भाया पिता राधु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री चतरा पिता दौला गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
2. श्री पोखर पिता दौला गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
3. श्री प्रकाश पिता केसु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
4. श्री देवीलाल पिता केसु गुर्जर निवासी माण्डुथल तह. मावली।
5. श्रीमती प्रेमबाई पिता केसु गुर्जर निवासी सिन्दु तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दू की आराजी नम्बर 24, 25, 26, 27, 28, 29 किता 6 रकबा 5.6170 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज भूमि में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:14:39 IST
Reason: SelfAttested